Vol 6 Issue 1 July 2016 ISSN No :2231-5063

# International Multidisciplinary Research Journal

# Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

**Welcome to GRT**

**RNI MAHMUL/2011/38595** **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

**Regional Editor**

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad

***International Advisory Board***

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

***Editorial Board***

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

**Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India**
**Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org**

ISSN: 2231-5063 Impact Factor : 4.6052(UIF) Volume - 6 | Issue - 1 | July - 2016

Golden Research Thoughts
International Recognition Multidisciplinary Research Journal
RNI : MAHMUL/2011/38887
ISSN No: 2231-5063
Impact Factor 2.2052 (UIF) [Yr. 2014]
3.4052 (UIF) [Yr. 2015]
4.6052 (UIF) [Yr. 2016]

GRT Golden Research Thoughts

# अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की सामाजिक एवं नेतृत्व विकास पर पंचायत राज का प्रभाव (मध्यप्रदेश के मण्डला जिले के विशेष संदर्भ में)

Shilawntee Maskare
Research Scholar , Dr B. R. Ambedkar University of Social Sciences,
Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Indore (M.P.)

*प्रस्तावना–*

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक पद्धति का मूल आधार विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी है। पंचायती राज संस्थाएँ उस भारतीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी जड़ें लोगों में मौजूद है। भारतीय समाज में सदियों से जातीय पंचायत प्रचलन में थी, जो स्थानीय स्तर पर अपने समाज की समस्याओं का निपटारा करती थी। परंतु परम्परागत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की

भागीदारी नगण्य थी तथा लम्बे समय तक राजनैतिक सशक्तिकरण से वंचित रही। भारतीय संविधान में स्त्रियों को समान अवसर का अधिकार प्रदान कर जीवन के हर क्षेत्र में भागीदारी करने का अवसर प्रदान किया है। इस व्यवस्था से स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्तर के महिलाओं की पंचायत राज संस्थाओं में भागीदारी करने के लिए आरक्षण प्रदान किया हैं। आरक्षण के प्रावधान से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं को प्रथम बार राजनीतिक में अवसर प्राप्त हुआ। म.प्र. में पंचायतों का गठन मई–जून १९९४ में सम्पन्न हुआ था। ७३वे संशोधन अधिनियम लागू होने के पूर्ण पंचायतों का संचालन प्रायः राज्यों के राजनेताओं की इच्छा या राज्य की नौकरशाही की कार्य कुशलता पर निर्भर करता था। जमीनी राजनीति से महिलाओं को जोड़ने का प्रयास पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आरम्भ हुआ है। जिससे महिलाओं को शक्ति प्रदान कर सरकार द्वारा ३३ प्रतिशत आरक्षण ग्राम पंचायतों में दिया गया था। जो बढ़कर ५० प्रतिशत हो गया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसे यदि यह कहे कि महिला जगत के लिए राजनीतिक संस्कृति का यह प्रथम पड़ाव हैं जहाँ से उन्हें भविष्य की राजनीतिक संस्कृति की रोशनी मिली हैं। देश की राजनीतिक गतिविधियों से परिचित हुई और लाल फीताशाहीयों की कुटिल चालों से भी भिज्ञ हो सकी है। यह पंचायती राज के अधिनियम (१९९३) का ही प्रभाव है कि भारत में १२ लाख से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम एक क्रांतिकारी कदम तथा महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। पूर्व पंचायत राज मंत्री मणिशंकर अय्यर ने इसे बार–बार दोहराया है कि भारत में एक मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है, जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से भले ही दिखाई नहीं दे रही हैं पर उसकी धीमी चाल भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बना रही है। इतना ही नहीं यह क्रांति एकता–विमर्श के ढांचे में भी बदलाव ला रही है। पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन और उसकी चेतना तथा संस्कृति में भी परिवर्तन किया है। पंचायती राज में प्रतिनिधित्व की गारंटी मिलने के साथ ही महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में सजग और दक्ष बनाती है। जिससे महिलाएँ देश की योजनाओं के बारे में जानने लगी हैं। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थितियों में सुधार हो रहा हैं तथा महिला अध्यक्षो, सदस्यों पंचों और सरपंचों में आत्मविश्वास,

राजनीतिक चेतना एवं इच्छाशक्ति के विकास के साथ ही अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से न सिर्फ महिलाओं का विकास हुआ है, अपितु समाज का सही दिशा में विकास होगा। यह लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के निर्वाह हेतु जरूरी है। इसी सन्दर्भ में, यू. एन. डी. ई. पी. में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाएँ कृपा दृष्टि और दान की मांग नहीं कर रही हैं। महिलाओं का राष्ट्र–निर्माण में योगदान पुरूषों से ज्यादा है। अतः महिलाओं के लिए आरक्षण कोई दान नहीं है बल्कि सामाजिक विकास में उनके योगदान की सिर्फ एक सच्ची मान्यता है। लेकिन इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पंचायती राज ने ग्रामीण विकास को एक नया आयाम दिया। ग्रामीण जनता की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ने के कारण ग्राम नेतृत्व विकसित हुआ। और भागीदारी बढ़ी है एवं ग्रामीण समाज में एक नई पहचान मिली है।

प्रस्तुत शोध आलेख पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी का उनकी सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव (मध्यप्रदेश के मण्डला जिले के विशेष सदर्भ में ) प्राथमिक आकड़ों पर आधारित है। जिसमें देव निदर्शन विधि के आधर पर ३०० पंचायती राज संस्थाओं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिलाओं को चुनकर प्राथमिक आकड़ों को एकत्रित किया गया है।

### *अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण*

शोध के अध्ययन ‘‘पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी का उनकी सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव (मध्यप्रदेश के मण्डला जिले के विशेष सदर्भ में) अध्ययनानुसार प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है।

पंचायत राज अधिनियम १६६३ के लागू होने के दो दशक पश्चात् भी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि महिलाओं को आरक्षण के प्रावधान की जानकारी बहुत ही कम है। अध्ययन के दौरान यह भी देखा गया कि गांव का वातावरण आज भी महिलाओं के नेतृत्व के प्रति प्रोत्साहनपूर्वक कम है। कहीं न कहीं परंपरावादी एवं रूढ़िवादी व्यवस्था आज भी महिला नेतृत्व के विकास में बाधक कारक के रूप में हैं।

*तालिका क्रमांक 1*
*पंचायत महिला प्रतिनिधी उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता सम्बधी विवरण*

| क्रमांक | शैक्षणिक योग्यता | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | निरक्षर | 46 | 15.3 |
| 2. | प्राथमिक | 182 | 60.7 |
| 3. | माध्यमिक | 47 | 15.7 |
| 4. | हाई स्कूल | 17 | 05.7 |
| 5. | हायर सेकेण्डरी | 04 | 01.3 |
| 6. | स्नातक | 03 | 01.0 |
| 7. | स्नातकोत्तर | 01 | 00.3 |
| **कुल उत्तरदाता** | | **300** | **100** |

उपरोक्त तालिका १ से स्पष्ट होता हैं कि ६०.७ प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले पाये गये। वही स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त ०.३ प्रतिशत पाए गये। माध्यमिक एवं हाईस्कूल की १५.७ एवं ०५.७ प्रतिशत उत्तरदाता पाए गये। उसी प्रकार हायर सेकेण्डरी एवं स्नातक शिक्षा प्राप्त उत्तरदाता १.३ प्रतिशत और १.० प्रतिशत उत्तरदाता पाए गये।

अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते है कि सर्वाधिक ६०.७ प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हैं। शिक्षा का निम्न स्तर पाये जाने का कारण मण्डला जिला जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्र होने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर तथा प्रकृति प्रेमी होने के कारण समाज के मुख्य धारा से दूर हैं।

तालिका क्रमांक 2
पंचायत महिला प्रतिनिधी उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय सम्बधी विवरण

| क्रमांक | वार्षिक आय (हजार रू. में) | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | 5000 से कम | 12 | 04.0 |
| 2. | 6000 से 10000 तक | 39 | 13.0 |
| 3. | 11000 से 15000 तक | 60 | 20.0 |
| 4. | 16000 से 20000 तक | 65 | 21.0 |
| 5. | 21000 से अधिक | 126 | 42.0 |
| कुल उत्तरदाता | | **300** | **100** |

व्यक्ति के जीवन में आय का महत्वपूर्ण स्थान होता हैं। आय से व्यक्ति की समाज में प्रस्थिति का निर्धारण होता है साथ ही आय के आधार पर व्यक्ति को वर्गों में विभाजित किया जाता है जैसे-उच्च आय वर्ग का व्यक्ति, निम्न आय वर्ग का व्यक्ति एवं मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति। उपरोक्त तालिका क्रमांक २ उत्तरदाताओं के परिवारों में वार्षिक आय का विश्लेषण करने पर पाया गया कि ४२.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय २१००० से अधिक है जिनके परिवार में अधिक भूमि, नौकरी एवं व्यापार में संलग्न हैं वहीं ४.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय ५००० से कम है जो अति गरीबी रेखा के अर्न्तगत जीवन यापन कर रहे हैं। जो केवल दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते है। उसी प्रकार २१.० प्रतिशत परिवारों में १६००० से २०००० आय वर्ग पाया गया तथा २०.० प्रतिशत उत्तरदाता के परिवार में ११००० से १५००० तक के आय वर्ग पाये गये। तत्पश्चात १३.० प्रतिशत उत्तरदाता के परिवार में ६००० से ११००० तक वर्षिक आय का ब्यौरा ज्ञात हुआ हैं।

अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते है कि अध्ययन क्षेत्र जनजाति बाहुल्य होने के साथ ही आय वर्ग की स्थिति लगभग असमान है। इसलिए अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक ४२.० उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय २१००० से अधिक पाये गये हैं।

तालिका क्रमांक 3
महिला पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका सम्बन्धी विवरण

| क्रमांक | चुनाव का तरीका | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | मतदान द्वारा | 208 | 69.3 |
| 2. | निर्विरोध | 92 | 30.7 |
| कुल उत्तरदाता | | **300** | **100** |

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम १९९३ को मध्यप्रदेश में २५ जनवरी १९९४ से लागू किया गया। संविधान के अपेक्षानुसार राज्य निर्वाचित आयोग का गठन किया गया एवं त्रिस्तरीय पंचायत को स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु मतदान कराया जाना आवश्यक हैं। उपरोक्त तालिका क्रमांक ३ में दर्शाया गया है कि ६९.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन मतदान द्वारा चुना गया हैं वही ३०.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। निर्विरोध चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पूरे गाँव में सर्वसम्मति से निर्णय मान्य होते है। किन्तु अवलोकन के द्वारा ज्ञात हुआ कि उस ग्राम में उच्च, धनवान एवं शिक्षित वर्ग का आधिपत्य पंचायत में अधिक है, वे लोग जैसा कहते है वैसा सर्वमान्य होता है। अर्थात उन्ही लोगों का आधिपत्य है।

अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते है कि पंचायत राज संस्थाओं में सर्वाधिक ६९.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन मतदान से जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुना गया हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों का रूझान बढ़ रहा है एवं अब अपने पद का उपयोग कर पंचायत के मिले अधिकारों, एवं कर्तव्यो के बारे में अधिक से अधिक जानने चाहते है।

तालिका क्रमांक 4
महिला पंचायत प्रतिनिधीयों को प्रशिक्षण मिलने सम्बधी विवरण

| क्रमांक | विवरण | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 295 | 98.3 |
| 2. | नहीं | 05 | 01.7 |
| कुल उत्तरदाता | | **300** | **100** |

नये पंचायत राज अधिनियम के तहत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक

बनाने हेतु शासन द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई हैं, चाहे वह पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत व सदस्य या ग्राम पंचायत के सरपंच या पंच हो। (MINISITRY OF RURAL DEVELPMENT) उपरोक्त तालिका के समंक यह दर्शाते कि ९८.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना हैं कि निर्वाचन होने के बाद प्रशिक्षण दिया गया हैं। वही १.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना हैं कि हमें प्रशिक्षण के बारे में मालुम नहीं हैं। यह प्रशिक्षण नहीं मिला हैं। तत्पश्चात प्रशिक्षण दिया गया है।

अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते है कि सर्वाधिक पंचायत प्रतिनिधियों का कहना हैं कि निर्वाचन के पश्चात पंचायत के कार्यो एवं दायित्वों के बारे प्रशिक्षण दिया गया हैं।

*तालिका क्रमांक 5*

*महिला पंचायत प्रतिनिधीयों को पंचायत राज संस्थाओं में दिये गये महिला आरक्षण सम्बधी जानकारी का विवरण*

| क्रमांक | महिला आरक्षण सम्बधी जानकारी का विवरण | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 278 | 92.7 |
| 2. | नहीं | 22 | 07.3 |
| **कुल उत्तरदाता** | | **300** | **100** |

पंचायती राज संस्थाओं में सभी महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया हैं। (जोशी ७ अक्टूबर २०१४ infochange)। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ९२.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों को मालूम है कि पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया हैं इनमें वे प्रतिनिधी है जो अपने अधिकार के प्रति जागरूक एवं पंचायत के दायित्वों को जानती है। कार्यो का निर्वहन करती है। चाहे वह अपने परिवार एवं गाँव वालों के सलाह एवं सहमति से करती हो। किन्तु आरक्षण का फायदा लेकर पंचायत प्रतिनिधि बनी हुई है। वही ७.०३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों को आरक्षण के बारे में मालुम नहीं हैं। वे ऐसे पंचायत प्रतिनिधि महिलाये है जिनको पंचायत के महत्ता के बारे में पता नही है या फिर अपने मेहनत मजदूरी में लगी हुई रहती है। तथा नाममात्र के पंचायत प्रतिनिधी है।

अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि सर्वाधिक पंचायत प्रतिनिधियों को आरक्षण के बारे में मालुम है किन्तु उनको विस्तृव आरक्षण की जानकारी नही हैं।

*तालिका क्रमांक 6*

*महिला पंचायत प्रतिनिधियों का पंचायत राज संस्थाओं में महिला भागीदारी का सामाजिक प्रस्थिति पर प्रभाव पड़ने सम्बंधी विवरण*

| क्रमांक | विवरण | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| **1.** | हाँ | 271 | 90.3 |
| **2.** | नहीं | 29 | 09.7 |
| **कुल उत्तरदाता** | | **300** | **100** |

उपरोक्त तालिका के समंक यह दर्शाते हैं कि ९०.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना हैं कि पंचायत राज संस्थाओं में भागीदारी से उनके सामाजिक प्रस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं। जैसे उनके गाँव में निर्वाचन के पहले नाम से जानते थे, किन्तु अब पद से सम्मानित तथा सम्बोधित करते हैं। अच्छा आव-भगत पंचायत में आने के बाद मिलने लगी हैं। लोगों के बातचीत करने के तरीके, व्यवहार करने के तरीके में बदलाव आया हैं। इस प्रकार पंचायत में भागीदारी करने केसामाजिक व्यवहार में बदलाव आया है तथा समाज में अच्छा सम्मान मिलने लगा है। वही ९.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत में भागीदारी का सामाजिक प्रस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हैं। जैसे पहले लोग सम्मान करते थें। वैसे अभी भी करते हैं।

*तालिका क्रमांक 7*

*महिला पंचायत प्रतिनिधियों के राजनीतिक भागीदारी के महत्व सम्बंधी विवरण*

| क्रमांक | विवरण | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | अपने अधिकारों की जानकारी के लिए | 117 | 47.36 |
| 2. | अपने उत्तरदायित्व की जानकारी के लिए | 08 | 03.23 |
| 3. | अपने हित–अहित के लिए | 60 | 24.29 |
| 4. | प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए | 62 | 25.10 |
| **कुल उत्तरदाता** | | **247** | **100** |

उपरोक्त तालिका के समंक दर्शाते है कि ४७.३६ प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि अपने अधिकार को जानने के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है, वहीं २४.२६ प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि अपने हित तथा अहित को जानने के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है, तथा २५.१० प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है तथा शेष ३.२३ प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि राजनीतिक भागीदारी महिलाओं के लिए अपने उत्तरदायित्व की जानकारी के लिए आवश्यक है।

अतः निष्कर्षतः हम कह सकते है कि सर्वाधिक ४७.३६ प्रतिशत निर्वाचित जनप्रतिनिधि यह मानते है कि महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है और वे अपने अधिकारों को जानने के इच्छुक है साथ ही प्रभावी नेतृत्व, अपने हित अहित एवं अपने उत्तरदायित्वों को जानने के लिए राजनीतिक भागीदारी आवश्यक मानते है। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि महिला प्रतिनिधि राजनितिक षगीदारी के महत्व को समझने लगी हैं।

*तालिका क्रमांक 8*
*महिलाओं को राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने से उनमे नेतृत्व विकास हुआ है*

| क्रमांक | विवरण | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 263 | 87.7 |
| 2. | नही | 37 | 12.3 |
| | **कुल उत्तरदाता** | **300** | **100** |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता हैं कि ८७.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने से उनमें नेतृत्व विकास हुआ हैं। वही १२.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने से कोई नेतृत्व विकास नहीं हुआ हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कह सकते है कि महिलाओं को राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने से उनमे नेतृत्व विकास हुआ है

*तालिका क्रमांक 9*
*पंचायतों में पदाधिकारी के रूप में सशक्त होकर नेतृत्व करती है*

| क्रमांक | विवरण | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 242 | 80.7 |
| 2. | नहीं | 58 | 19.3 |
| **कुल उत्तरदाता** | | **300** | **100** |

उपरोक्त तालिका के समंक यह दर्शाते हैं कि ८०.७ प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की पंचायत पदाधिकारी उत्तरदाता सशक्त होकर नेतृत्व करती हैं। जबकि १९.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना हैं कि पदाधिकारी के रूप में होने के बावजूद वह सशक्त रूप से नेतृत्व नहीं कर पा रही हैं। अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते है कि सर्वाधिक पंचायत प्रतिनिधि जिससे सशक्त होकर नेतृत्व करती हैं। हम कह सकते है कि उनके जीवन में सामाजिक गतिशीलता हुई हैं।

*तालिका क्रमांक 10*
*आपके साथ पंचायत के बैठकों में जातिगत भेदभाव किया जाता है*

| क्रमांक | विवरण | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 4 | 01.3 |
| 2. | नहीं | 296 | 98.7 |
| **कुल उत्तरदाता** | | **300** | **100** |

उपरोक्त तालिका के समंक यह दर्शाते हैं कि १.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उनके साथ पंचायत के बैठको में जातिगत भेदभाव किया जाता हैं क्योंकि आज भी आंतरिक रूप से छुआछुत किया जाता है बल्कि दिखते नहीं हैं। सामाजिक और मानसिक रूप से उनमें बदलाव नहीं आया हैं। कही न कही उनमें ये भावना घर कर गई हैं। किन्तु पहले जैसा रूप नहीं रहा हैं। शिक्षित हो चुके हैं। वे पैतृक व्यवसाय से दूर होकर अच्छे स्वच्छ कार्य में लगे हैं। वही ९८.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना हैं कि पंचायत के बैठको में किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता हैं। अतः निष्कर्षतः कह सकते है कि ९८.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना हैं कि पंचायत के बैठको में किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता हैं।

*निष्कर्षः—*

भारतीय संविधान और उसमें होते रहे संशोधनों में इस तथ्य को महसूस किया गया है, कि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ाना है। संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छिपी शक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम हैं। प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रभाव महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनितिक प्रस्थिति पर पड़ा हैं जिसकी वजह से उन्में सामाजिक गतिशीलता आयी हैं, और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग है। पंचायत की बैठकों में निर्णय की प्रक्रिया के संबंध में आधे से अधिक प्रतिनिधियों के अनुसार बैठकों में निर्णय सर्व सम्मति से होते है, जबकि एक तिहाई प्रतिधियों की पंचायतों में निर्णयों का आधार बहुमत है। साथ ही यह भी बताया गया है कि निरक्षरता पिछड़ापन एवं जागरूकता के अभाव के रहते पंचातय राज के विभिन्न पक्षों की मुख्य जानकारी एवं प्रमुख प्रावधानों से अनभिज्ञता के कारण वह स्वतंत्र कार्य निर्वहन में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। अधिकांश महिलाओं ने स्वीकार किया कि सरकार ने महिला सीट आरक्षित कर दी है। आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नही बल्कि देश के सभी वर्गो की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू होने से स्थानीय सत्ता संरचना में स्थान प्राप्त हुआ हैं परन्तु यह भी सत्य है कि जिस अनुपात में संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उस अनुपात में महिलाओं की भागीदारी तो हुई हैं, किन्तु उतनी मात्रा में सशक्तिकरण नहीं हो पाया हैं क्योंकि परिवार एवं समाज का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति आज भी संकीर्ण हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार करने में पुरूष प्रधान मानसिकता रखने वाले एवं तथाकथित उच्च जातियों के दबंग व्यक्ति सहज भाव से उनके नेतृत्व को स्वीकार नही करते हैं। शिक्षा एक ऐसा कारगर हथियार है, जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है, समानता, स्वतंत्रता के साथ-साथ शिक्षित व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों का बेहतर उपयोग भी करता है और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त भी होता है। वास्तविकता यह है कि सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक कारगर हथियार है। शिक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर रखने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला जिला, जनपद अध्यक्षों, सदस्यों एवं सरपंचों और पंचों का स्पष्ट कहना है कि शिक्षा में ही गांव का विकास निहित है ''बोलने ,सुनने और निर्णय लेने का हमारा भी उतना ही अधिकार है, जितना कि एक पुरूष प्रतिनिधियों का हैं।

*सुझावः—*

१.युवा पंचायत महिला प्रतिनिधियो ंको पंचायत राज संस्थाओं में कार्य करने के रूझान को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि वे पंचायत राज संस्थाओं के विकास के कार्य हेतु तत्पर होकर कार्य कर सके।

२.अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक पंचायत प्रतिनिधि साक्षर तो है किन्तु हस्ताक्षर तक सीमित हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास पर बल देना चाहिए जिससे शिक्षित जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में नेत्तृव प्रदान कर सके।

३.अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान होने के कारण पंचायत प्रतिनिधियों की वार्षिक आय कम हैं इस हेतु उन्हें आय बढ़ाने हेतु स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि उनके आय में वृद्धि हो सके।

४.अध्ययन क्षेत्र में शोध के दौरान पाया गया कि ३०.७ प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ हैं इसका मतलब या तो उनमें नेतृत्व करने की जिज्ञासा नहीं है या फिर वर्तमान में उच्च वर्ग की दबंगता के कारण उनके निर्णय सर्वमान्य होते हैं इस हेतु निर्विरोध चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त करना चाहिए ताकि पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए लोगों में चुनाव लड़ने हेतु लालसा एवं जिज्ञासा उत्पन्न हो सके।

५.शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि पंचायत राज संस्थाओं में भागीदारी प्रदान करने पर राजनीतिक सत्ता एवं निर्णय क्षमता का विकास हुआ हैं। इस हेतु अधिकाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति की निर्वाचित महिलाओं को पंचायत में भागीदारी प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

*संदर्भ सूची*

१.सिंह, वी.एन. एवं जनमेजय सिंह २०१० "आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली पृ. १३
२.योजना अक्टूबर २००८ पृ. १७
३.यू. एन. डी. ई. पी. में जारी रिपोर्ट (महिला आरक्षण विधेयक २००६) सेन्टर फॉर सोशल रिसर्च।

**Shilawntee Maskare**
**Research Scholar , Dr B. R. Ambedkar University of Social Sciences,**
**Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Indore (M.P.)**

# Publish Research Article
# International Level Multidisciplinary Research Journal
# For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

## Associated and Indexed,India

- ✶ International Scientific Journal Consortium
- ✶ OPEN J-GATE

## Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org